

न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: चन्द्रशेखर (तहसीलदार)

मिसल नं.

:::

61 / 2024

सरकार

बनाम सोमवीर पुत्र रामप्रसाद, जाति -मेघवाल, निवासी- बलौदा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 22.05.2024

### निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सोमवीर पुत्र रामप्रसाद, जाति -मेघवाल, निवासी- बलौदा द्वारा रोही मौजा बलौदा की भूमि ख.नं. 320 कुल रकबा 2.20 है० किस्म गै.मु. जौहड़ में से रकबा 0.01 है० भूमि पर पक्के मकान व कच्चा ढारा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बांद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( चन्द्रशेखर )

तहसीलदार, सूरजगढ़

सं० सं० 4 के मुद्द सं० 01 पर  
दि० 24-25 में रुपये 05/- कायम किए  
